

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० /2016/24(120)/XXVII(8)/10

दिनांक:: देहरादून:: 27 जुलाई, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं०-01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची I एवं अनुसूची II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संशोधन

1- अनुसूची-I के क्रमांक 83 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्न प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्

क्र० सं०	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
84	खोया/खोआ	करमुक्त


2- अनुसूची-II(ख) के क्रमांक 64 पर विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।


(दिलीप जावलकर)
सचिव।

सं० 472/2016/24(120)/XXVII(8)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।


अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 472/2016/24(120)/XXVII(8)/2010 dated 27 July, 2016 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 472/2016/24(120)/XXVII(8)/2010
Dehradun :: Dated: :27July,2016

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;


NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no.27 of 2005) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow the following amendments in Schedule-I and Schedule-II of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 with effect from the date of publication of this notification in Gazette,

Amendment

- 1- After the existing entry at serial no 83 of Schedule-I, the following entry shall be added, namely;

Sr. NO.	Description of goods	Rate of tax
1	2	3
84	Khoya/khoa	Exempt

- 2- In Schedule II(b), the existing entry at serial no. 64, shall be deleted.


(Dilip jawalkar)
Secretary.